

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]	दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 13, 2017/आश्विन 21, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 284
No. 374]	DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017/ASVINA 21, 1939	[N.C.T.D. No. 284

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस—II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2017

सं. फा. 20/4/2003/गृ.पु.—II—8339.—जबकि, चाणक्य लेन (तिकेन्द्रजीत मार्ग), चाणक्यपुरी पर यातायात की सघनता के कारण यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है और इससे अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं को असुविधा उत्पन्न हो रही है;

और जबकि, यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने और वाहन चालकों एवं अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए चाणक्य लेन (तिकेन्द्रजीत मार्ग), चाणक्यपुरी पर यातायात के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए यह करना आवश्यक है;

अतः मैं, असलम खान, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए एतद्वारा चाणक्य लेन (तिकेन्द्रजीत मार्ग), चाणक्यपुरी, पर हरियाणा भवन से अफ्रीका एवेन्यु मार्ग तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिदिन 24 घंटे एकतरफा मार्ग घोषित करती हूँ, अगले आदेश तक ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी ।

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 12/10/2017 को जारी किया गया ।

असलम खान, उपायुक्त पुलिस

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th October, 2017

F. No. 20/4/2003/HP-II-8339.—Whereas, on Chanakya Lane (Tikender Jeet Marg), Chanakya Puri heavy flow of traffic is causing obstruction in smooth flow of traffic and inconvenience to other road users;

And whereas, it is necessary to regulate the movement of traffic on Chanakya Lane (Tikender Jeet Marg), Chanakya Puri to ensure smooth flow of traffic and for convenience and safety of motorists and other road users;

Now, therefore, I, Aslam Khan, Deputy Commissioner of Police/Traffic (HQ), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby declare Chanakya Lane (Tikender Jeet Marg), Chanakya Puri 'One Way' for all type of vehicles from Haryana Bhawan to Africa Avenue for 24 hours, till further orders.

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the roads/areas shall erect the corresponding informatory signboards indicating the restrictions in the area for the guidance and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 12/10/2017.

ASLAM KHAN, Dy. Commissioner of Police